क्रम-संख्या–53

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन 6, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 55 / 79-वि-1–2026-1-क-2-2026

लखनऊ, 25 फरवरी, 2026

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 फरवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 14 जनवरी, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(त) एक विश्वविद्यालय जिसे स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर के रूप में जाना जायेगा;''

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1–ठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(1–ड) जब तक कि इस धारा के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

धारा 52 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2–ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2–ठ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर का प्रथम अध्यादेश न बना लिया जाय, तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का अध्यादेश, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

अनुसूची का संशोधन

5– मूल अधिनियम की अनुसूची में,–

(क) क्रम-संख्या–7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''7– महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

(एक) स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिले
(दो) स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत जिले''

(ख) क्रम-संख्या 21 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''22–स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर जिला''

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

6–(1) राज्य सरकार स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2026

7–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में नये विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला शाहजहांपुर के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में छात्रों के लिये गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है ।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट, शाहजहांपुर के अधीन संचालित शैक्षणिक इकाईयों को उच्चीकृत कर ट्रस्ट के मुख्य प्रशासक स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती द्वारा स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 55(2)/LXXIX-V-1–2026-1-ka-2-2026

Dated Lucknow, February 25, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Dwitiya Saanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2026. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2026

(U.P. Act no. 14 of 2026)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th day of January, 2026.

Amendment of Section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A), *after* clause (o), the following clauses shall be *inserted,* namely:–

"(p) a University to be known as Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur;".

Amendment of Section 50

3. In Section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-L), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(1-M) Until the First Statutes of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur are made under this section, the Statutes of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide;".

Amendment of Section 52

4. In Section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-K), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(2-L) Until the First Ordinances of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur are made under sub-section (2), the Ordinances of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.".

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,–

(a) *for* the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall be *substituted,* namely :–

"7 . Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly –

(i) Until the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur.
(ii) Upon the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit.".

(b) *after* serial no. 21, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted,* namely:–

"22. Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur.	Shahjahanpur District.".

Power to remove difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur, by order published in the *Gazette,* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 2 of 2026

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) was enacted to amend and consolidate the laws relating to certain universities in Uttar Pradesh.

The State Government has set a target to establish new universities in the State to provide quality higher education. In pursuit of this goal, a need has been felt to establish a new State University in the district of Shahjahanpur to ensure the availability of quality higher education for students in rural and backward areas.

For the holistic development of higher education in the State, it was decided to establish Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur, by upgrading the educational units operated under the Mumuksha Ashram Trust, Shahjahanpur, by Swami Chinmayanand Saraswati, Chief Administrator of the Trust.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 2 of 2026) was promulgated by the Governor on January 14, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 390 राजपत्र–2026–(1230)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 185 सा0 विधायी–2026–(1231)–70+230=300 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

390_RPH_ Adhiniyam folder _(State Uni.)-2026 Data-1e